

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

4.

क्र. सं.	योजना का नाम	लाम	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	अटल आवास योजना	₹ 1,30,000 (पर्वतीय क्षेत्र) तथा ₹ 1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) 3 किस्तों में।	1. अनुसूचित जाति के परिवार 2. बीपीएल या ₹ 48000 वार्षिक आय सीमा 3. आवेदक का कोई मकान न हो और उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए।	प्रति वर्ष जनपदों को लक्ष्य दिये जाते हैं। जनपदों द्वारा लक्ष्य का जनसंख्या के आधार पर विकासखण्डों को आवंटन किया जाता है। विकासखण्ड स्तर पर आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, सीबीएस आधार सीडिंग / लिंक बैंक खाता, सम्पत्ति के दस्तावेज लगाये जाने अनिवार्य है। आवेदन पत्र ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, द्वारा सत्यापित किये जाते हैं। विकास खण्ड स्तर पर एक वरीयता सूची तैयार की जाती है। प्राप्त आवेदन का मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी की समिति द्वारा पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है। तदोपरान्त समिति की संस्तुति के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जाती है।
2.	दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार	₹ 8000 /- धनराशि दी जाती है।	योजना के अन्तर्गत निम्न श्रेणी में पुरस्कार दिये जाते हैं:- 1. दिव्यांग कर्मचारी, 2. उत्कृष्ट खिलाड़ी 3. स्वतः रोजगार में सर्वश्रेष्ठ सेवायोजक	यह पुरस्कार विश्व दिव्यांग दिवस 03 दिसम्बर के अवसर पर वितरित किये जाते हैं। इस हेतु समाचार पत्रों में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ उनके द्वारा किये गये विशेष कार्य का विवरण के साथ आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते हैं। जनपद स्तर पर आवश्यक जांच के उपरांत निदेशक, समाज कल्याण की संस्तुति के उपरांत शासन स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के उपरांत प्रत्येक श्रेणी में योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, मेडल तथा ₹ 8000 /- बैंक ड्राफ्ट / चेक प्रदान किया जाता है।
3.	दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण क्रय तथा मरम्मत कराये जाने हेतु अनुदान	व्यक्तिगत मामलों में ₹ 50 / से 3500 / (अधिकतम 7000 /) तक, एवं कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत हेतु ₹ 500 /- अनुदान धनराशि दी जाती है।	अभ्यर्थी के (नाबालिग होने की स्थिति में) माता-पिता की ₹ 4000 /- मासिक आय की सीमा। 40 प्रतिशत दिव्यांगता।	अभ्यर्थी को कृत्रिम अंग अथवा श्रवण सहायक यंत्र लगाने की संस्तुति चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी हो। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं आवेदन पत्र पूर्ण कर संबंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को हस्तगत कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। तत्पश्चात् कोषागार के माध्यम से संबंधित लाभार्थी को भुगतान की जायेगी।

5.

का
माता
दन
गर्भ,
वेज
1/-
है।
है।
गस
द्वारा
की
द्वारा

पर
त्रित
नके
पत्र
है।
माज
मेटी
यन
/-

की
स्वयं
गरी
गरी
पूर्ण
मार्थी

4.	जन्म से दिव्यांग बच्चे का भरण पोषण अनुदान	माता-पिता या अभिभावक को ₹ 700/- प्रतिमाह	18 वर्ष से कम आयु के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के भरण-पोषण करने वाले माता-पिता या अभिभावक की मासिक आय ₹ 4000 से कम अथवा बीपीएल श्रेणी।	आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं : आवेदक का मोबाइल नम्बर, पासपोर्ट साइज फोटो (ग्राम प्रधान/वी.पी.डी.ओ./सभासद द्वारा प्रमाणित) तथा आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, सीबीएस बैंक खाता, जो आधार से लिंक/सीड हो, की छायाप्रति। परिवार का वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी.पी.एल. प्रमाण पत्र। 40 प्रतिशत से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु), ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में सभासद की खुली बैठक में चयनित/पारित प्रस्ताव की प्रति। जिस जनपद से आवेदन करेंगे, सभी दस्तावेज उसी जनपद के होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सत्यापन हेतु क्रमशः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी से उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन व संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन सही पाये जाने पर स्वीकृत कर भरण पोषण अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जाती है। परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तथा यू.डी.आई.डी. प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके पश्चात् आवेदन स्वीकृत होने के 01 माह बाद पेंशन उनके माता-पिता के खाते में आ जाती है।
5.	दिव्यांग छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 08 तक)	कक्षा 1 से 5 तक - ₹ 600 कक्षा 6 से 8 तक - ₹ 960	1. ₹ 0.24 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र। दिव्यांग छात्र	छात्रों द्वारा भारत सरकार के एन.एस.पी. पोर्टल (NSP) (https://scholarships.gov.in) में ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, प्रमाणित फोटो, सी.बी.एस. बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो। पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण

				पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न लेने की स्वघोषणा पत्र। आवेदन पत्र को छात्र ऑनलाइन अपने शिक्षण संस्थान को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान आवेदन पत्र को सत्यापित कर जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाइन अग्रसारित करता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (जिन्हें सही किया जा सकता है) अस्थायी रूप से डिफेक्ट किया जाता है, अन्यथा पूर्ण रूप से रिजेक्ट/अस्वीकृत किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष में सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है।
6.	अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह पुरस्कार	विवाहित दम्पति को ₹ 50,000/- धनराशि संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है।	अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों में एक पक्ष अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है एवं अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले दम्पतियों में दोनों पक्षों का भिन्न-भिन्न धर्मों का होना अनिवार्य है।	प्राप्त आवेदन को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यक परीक्षण उपरान्त जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ निदेशालय के माध्यम से शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ दुल्हा एवं दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड) शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, सी.बी. एस. बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो, की प्रति लगाया जाना अनिवार्य है। शासन स्तर से स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट प्रेषित किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं का विवरण:

क्र.सं.	संस्था का नाम	जनपद	स्वीकृत क्षमता
(i)	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय		
1.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, श्रीनगर: (कक्षा 1 से 5 तक)	पौड़ी	60
2.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, अधोईवाला: (कक्षा 1 से 5 तक)	देहरादून	60
3.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जैती: (कक्षा 1 से 5 तक) (वर्तमान में संचालित नहीं)	अल्मोड़ा	60
4.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, रुद्रपुर: (कक्षा 1 से 5 तक)	ऊधमसिंह नगर	60
5.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सैकोट: (कक्षा 1 से 8 तक)	चमोली	230
6.	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेतालघाट: (कक्षा 6 से 10 तक)	नैनीताल	150

7.
(ii)
1
2
3
(iii)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
(iv)
1.
2.
3.
4.

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)	अनुदान: परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा ₹ 50,000/- अधिकतम।	1. उत्तराखण्ड में निवासरत्। 2. अनुसूचित जाति 3. आयु सीमा निर्धारित नहीं है अपितु ₹ 2.50 लाख आय सीमा के आवेदकों को चयन में वरीयता।	1. खण्ड विकास अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव जनपदीय कार्यालय को उपलब्ध कराये जाते हैं। खण्ड विकास कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से चयन कराते हुए भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करते हुए राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित किये जाते हैं। 2. राज्य स्तरीय समिति प्राप्त प्रस्तावों पर संस्तुति प्रदान करते हुए केन्द्र स्तरीय समिति को अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं। 3. केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन करने के उपरान्त धनावंटन किया जाता है।
2.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति)	1. परियोजना लागत: ₹ 50,000/- से ₹ 2,00,000/- बैंक ऋण-परियोजना लागत का 60 प्रतिशत। मार्जिन मनी-परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) अनुदान-अधिकतम ₹ 10,000/- लाभार्थी अंश: ₹ 1.00 लाख तक कुछ नहीं, ₹ 1.01 लाख से ₹ 2.00 लाख तक 10 प्रतिशत	1. उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो। 2. आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो। 3. वार्षिक आय सीमा-ग्रामीण क्षेत्र - ₹ 1,05,600 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र- ₹ 1,29,840 वार्षिक।	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान है। नोट: अनुसूचित जाति वर्ग हेतु पृथक से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का संचालन होने के कारण उक्त योजना के केवल प्रशिक्षण मद में ही धनराशि का व्यय किया जा रहा है।
3.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जनजाति)	परियोजना लागत - ₹ 50,000/- से ₹ 2,00,000/- बैंक ऋण - परियोजना लागत का 60 प्रतिशत मार्जिन मनी - परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) अनुदान - अधिकतम ₹ 50,000/- लाभार्थी अंश-₹ 1.00 लाख तक कुछ नहीं ₹ 1.01 लाख से ₹ 2.00 लाख तक 10 प्रतिशत	1. उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो। 2. आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो। 3. वार्षिक आय सीमा- ₹ 2.50 लाख वार्षिक	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान है।

प्रालय
कास
गठित
न पर

मिति

किया

जिला
किये

ना का
व्यय

जिला
किये

4.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (दिव्यांग)	1. सावधि ऋण योजना – परियोजना लागत – ₹ 75,000 / – अनुदान – 20 प्रतिशत अथवा ₹ 10,000 / – जो भी कम हो सावधि ऋण – ₹ 65,000 / – (06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर) 2. दुकान निर्माण – परियोजना लागत – ₹ 50,000 / – अनुदान – 20 प्रतिशत अथवा ₹ 10,000 / – जो भी कम हो मार्जिन मनी – ₹ 40,000 / – (4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) 3. बैंक पोषित ऋण हतु मार्जिन मनी ऋण योजना – परियोजना लागत – ₹ 2,00,000 / – (अधिकतम) अनुदान – 20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम ₹ 10,000 / – मार्जिन मनी – परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर, 36 मासिक किस्तों में)	1. उत्तराखण्ड में निवासरत् हो। 2. 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र अथवा यू.डी.आई. डी. प्रमाण पत्र 3. वार्षिक आय सीमा – शहरी क्षेत्र में ₹ 2.00 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 1.60 लाख होनी चाहिए। 4. आयु सीमा – 18 से 50 वर्ष	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान है।
5.	शिल्पी ग्राम योजना (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति)	चिन्हित शिल्पी ग्रामों एवं ट्रेडों में निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	1. उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति हो। 2. वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में आय 129840 / – एवं ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 105600 / –	मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संस्थाओं एवं प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाता है।